न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री अवधेश मीना, आई.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या– 09/2026
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2026/12

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचामन।	**बनाम**	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवाीस परबतसर, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, परबतसर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

–ःआदेशः– **दिनांक : 14.05.2026**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2026 राजकाज रेफरेंस नम्बर 20500951 दिनांक 12.02.2026 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/व्यावसायिक दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 20.02.2026 को श्री दीपक कुल्हार प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री विरेन्द्र सिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक के नेतृत्व में परबतसर में स्थित मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, परबतसर पर पहुंचे। मौके पर श्री मनोहर सिंह ने अपनी मिठाई बनाने की दुकान का निरीक्षण करवाया। निरीक्षण में कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया। मौके पर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, परबतसर कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुए पाये जाने पर श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह के पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री मनोहर सिंह द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	शुद्ध गैस (कॉलम 4–5)
1	इण्डेन	149706–S	00 किग्रा
2	इण्डेन	112267–S	10.5 किग्रा
3	इण्डेन	683340	6.5 किग्रा
4	इण्डेन	199254	00 किग्रा

उपरोक्त 04 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स परबतसर इण्डेन गैस सर्विस, परबतसर के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र कुमार की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री मनोहर सिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,–2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 04 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस रजिस्टर्ड ट्रेकिगं रिपोर्ट सहित पेश हुआ। अप्रार्थी बावजुद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

बहस पत्रावली सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 04 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर को मैसर्स परबतसर इण्डेन गैस सर्विस परबतसर के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र कुमार को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कराये गये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये। जांच के समय श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का समपहरण (**Confisacation**) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 04 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक **14.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अवधेश मीना, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन